दक्षिण दिल्ली स्थित विज्ञापन एजेंसियों की ओर बाकया आय-कर

5557. श्री टी० एस० नेगी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण दिल्ली की आनन्द निकेतन नामक कालोनी में काम कर रही कुछ विज्ञापन एजेन्सियों पर आय कर की बहुत बड़ी रकम बकाया है ;

(ख) क्या यह भी सच कि इस कालोनी में कार्य कर रही विज्ञापन एजेन्सियां ने आय कर बचाने के लिए बहुत घपला किया है और अब भी कर रही है और क्या आय कर अधिकारियों द्वारा 1978 मे इस बारे में व्यापक जांच की गई थी ;

(ग) क्या सरकार का विचार आय-कर बचाने के लिए इस तरह का घपला करने वाले तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो ऐसा करना कब तक संभव होगा ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मगनभाई बारोट) : (क) से (घ) आय कर आयुक्त दिल्ली नगर III नई दिल्ली ने जिनके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत दक्षिण दिल्ली की आनन्द निकेतन कालोनी आती है, रिपोर्ट दी है कि इस कालोनी मे उनके अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत जिन विज्ञापन एजेन्सियों का कर निर्धारण किया गया उनके मामले में कोई आयकर बकाया नहीं है। एक फर्म के मामले में कर निर्धारण कार्यवाही मामले की छान-बीन के बाद, अक्तूबर, 1979 में पूरी हो गई थी। इन मामलों मे लेखों में जालसाजी करने का कोई प्रमाण नहीं मिला है। जिन मामलों में कर अपवंचन का पता लगेगा, उनमें कानून के अनुसार उपयुक्त कार्यवाही की जाएगी।

Requirement of Bauxite for Korba Aluminium Plant of BALCO

5558. DR. KRUPASINDHU BHOI: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state what is the annual requirement of Bauxite for the Korba Aluminum Plant of BALCO and the sources from which bauxite is being procured at present and proposed to be obtained in future?

THE MINISTER OF COMMERCE AND STEEL AND MINES (SHRI PRANAB MUKHERJEE): The annual requirement of 5.5 lakh tonnes of bauxite for the Korba Aluminium Smelter of BALCO is presently met from Phutkapahar and Amarkantak mines in Madhya Pradesh. A new bauxite mine is proposed to be developed in the Gandhamardan plateau of Orissa to feed the Korba Alumina Plant.

आयात और निर्यात मुख्य नियंत्रक के कार्यालय में अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों की पदोन्नति

5559. श्री राम विलास पासवान : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयात और निर्यात मुख्य नियन्त्रक के कार्यालय में अनुसूचित जाति के किसी भी कर्मचारी को पदोन्नत नहीं किया गया है ;

(ख) यदि नहीं तो क्या अनुसूचित जातियों के उन अराजपत्रित कर्मचारियों के नामों की सूची सभा पटल पर रखी जाएगी जिन्हें गत पांच वर्षों में पदोन्नत किया गया है;

(ग) इन कर्मचारियों को उपयुक्त पदोन्नति देने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(घ) मंत्रालय में विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों की तथा अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है ?